Om Kumar Singh
Assistant Professor,
Dept. of Political Science,
D.B. College Jaynagar, Madhubani,
(A Constituent Unit of L.N.M.U. Darbhanga)

दिनांक: 21/07/2020

स्नातक (प्रतिष्ठा) द्वितीय खण्ड

तृतीय पत्र (भारतीय शासन एवं राजनीति)

अध्याय-4 (मूल अधिकार और मूल कर्तव्य)

व्याख्यान :18 (कुल: 57)

निवारक निरोध

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खण्ड 4 में निवारक निरोध की व्यवस्था से संबंधी प्रावधान किए गए है। इसे संविधान की सबसे विवादित धारा माना गया है। वैसे संविधान में निवारक निरोध की परिभाषा नहीं दी गई, फिर भी कहा जा सकता है कि निवारक निरोध का अर्थ वास्तव में, किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के ही नजरबंदी है।

निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन् उसे अपराध करने से रोकना है।

भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध सामान्य काल एवं संकट काल दोनों में लागू होता है अर्थात् युद्ध एवं शांति दोनों समयों के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। विश्व में अन्य किसी भी प्रजातंत्रात्मक राज्य में ऐसी

Scanned with CamScanner

Om Kumar Singh
Assistant Professor,
Dept. of Political Science,
D.B. College Jaynagar, Madhubani,
(A Constituent Unit of L.N.M.U. Darbhanga)

व्यवस्था नहीं पाई जाती है।

निवारक निरोध की व्यवस्था के तहत केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक प्रावधान किए गए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा किए गए

प्रमुख प्रावधान--

(क) निवारक नजरबंदी अधिनियम-1950 से 1969 तक लागू।

(ख) आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम(मीसा)--1971से अप्रैल '79 तक लागू।

(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा कानून-1981 से लागू।

(घ) टाडा- 1985 से 1995 तक लागू।

(ड़) आतंकवाद निरोधक कानून(पोटा)-- 2002से 2004 तक लागू।

(च) गैर-कानूनी गतिविधियाँ निवारण अधिनियम, 2004 ।

हमारे देश में केन्द्र और राज्यों दोनों को ही निवारक निरोध संबंधी कानून बनाने और लागू करने का अधिकार प्राप्त है। अतः केन्द्रीय स्तर पर 'मीसा' की व्यवस्था समाप्त हो जाने पर भी अधिकांश राज्यों यह व्यवस्था लागू रहीं। वर्तमान में निवारक निरोध संबंधी दो कानून- राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैर-कानूनी गतिविधियाँ निवारण कानून पूरे देश में लागू हैं।

निवारक निरोध व्यवस्था की अनेक विद्वानों ने आलोचना की है। पं. ठाकुर दास भार्गव ने इसे 'असफलताओं का शिरोमणि' कहा । बख्शी टेकचंद

Scanned with CamScanner

Om Kumar Singh
Assistant Professor,
Dept. of Political Science,
D.B. College Jaynagar, Madhubani,
(A Constituent Unit of L.N.M.U. Darbhanga)

ने इसे 'दमन और निरंकुशता का पत्र' की संज्ञा दी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महाजन ने अपने एक निर्णय में कहा था कि " निवारक निरोध कानून प्रजातांत्रिक संविधानों के प्रतिकूल है एवं विश्व के अन्य किसी भी प्रजातांत्रिक राज्य में वे नहीं पाए जाते। यह आश्चर्य है कि इसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अध्याय में स्थान दिया गया है।"

उपर्युक्त आलोचना के बावजूद भी इसका महत्व काफी है।खासकर जब देश में विध्वंसकारी तत्वों की कोई कमी नहीं रही हो और जो स्वतंत्रता के लिए खतरा उत्पन्न करता हो, तो ऐसी स्थिति में इसकी उपयोगिता में और वृद्धि हो जाती है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में न्यायाधीश पातंजलि शास्त्री ने निवारक निरोध की उपयोगिता इन शब्दों में स्वीकार की थी, "इस भयावह उपकरण की व्यवस्था, जिसका प्रजातांत्रिक संविधान में कोई स्थान नहीं है, जो मौलिक अधिकार की पवित्रता के प्रतिकूल और संविधान में की गई प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध है, ऊन समाज-विरोधी तथा विध्वंकारी तत्वों के विरुद्ध की गई है, जिनसे नवजात प्रजातंत्र के राष्ट्रीय हित को खतरा है।"

इस प्रकार' निवारक निरोध की व्यवस्था' एक भरी हुई बंदूक के समान है, जिसका किसी भी रूप में प्रयोग किया जा सकता है तथा जो व्यक्ति

Scanned with CamScanner

Om Kumar Singh
Assistant Professor,
Dept. of Political Science,
D.B. College Jaynagar, Madhubani,
(A Constituent Unit of L.N.M.U. Darbhanga)

की रक्षा भी कर सकती है और उसकी हत्या भी। अतः इस बंदूक का प्रयोग बहुत अधिक सावधानी से और विवेकपूर्वक ही किया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner